नम्बर व तारीख हुक्म व दस्तखत मय इनिशियल्स जज

25/11/2022	पत्रावली पेश हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी श्री राहुल जायसवाल पुत्र श्री बाबुलाल जायसवाल निवासी– गांव– पालरा, तह. रायपुर, जिला भिलवाड़ा, हाल मैसर्स– राहुल जायसवाल टाटा टैम्पों नं. आर.जे.06जी.सी.0874 भैरूजी मोड़ पुलिया के नीचे, रींगस तह.–श्रीमाधोपुर सीकर कि ओर से श्री सुशील कुमार अग्रवाल एडवोकेट उपस्थित हुये। वकील अप्रार्थी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा दिनांक 17.06.2018 को समय 11:20 ए.एम. पर शहर रींगस(सीकर) में निरीक्षण के लिए मैसर्स– राहुल जायसवाल टाटा टैम्पों नं. आर.जे.06जी.सी.0874 भैरूजी मोड़ पुलिया के नीचे, रींगस तह. –श्रीमाधोपुर सीकर पर पहुंचा। निरक्षण के दौरान विक्रय किये जा रहे फर्म मैसर्स– राहुल जायसवाल टाटा टैम्पों नं. आर.जे.06जी.सी.0874, पर अप्रार्थी श्री राहुल जायसवाल मावा कुल्फी (श्री बोम्बे चौपाटी) का विक्रय कर रहा था। विक्रेता को मैनें अपना परिचय दिया व उनका नाम व पता पूछा तो उसने अपना नाम बताया।	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

टाटा टैम्पों पर श्री राहुल जायसवाल द्वारा मावा कुल्फी (श्री बोम्बे चौपाटी) का विक्रय किया जा रहा था। टैम्पो में डिप फ्रिज में मावा कुल्फी(श्री बोम्बे चौपाटी) 30x54 ग्राम पैकिंग में से वास्ते नमूना जांच हेतु नमूना लेने के लिए कहा व फार्म नम्बर 5ए की प्रति तैयार कर नमूना लेने कि सूचना दी तथा प्राप्ति रसीद ली। वास्ते नमूना जांच, मावा कुल्फी (श्री बोम्बे चौपाटी) 1200 ग्राम (24 मावा कुल्फी) खरीदी जिसकी कीमत विक्रेता को 360रु नगद देकर रसीद प्राप्त कि जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है। तथा उपस्थिति गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये। उक्त नमूना **अमानक व मिथ्याछाप** पाया गया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म कबूल किया एवं प्रकरण में अप्रार्थी के कारोबार को देखते हुये कम से कम जूर्मना किया जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म लिखित में कबूल किया एवं कम से कम जूर्माना लगाने का अनुरोध किया।

प्रार्थी व वकील अप्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी नम्बर एफ–1171 खाद्य पदार्थ मावा कुल्फी (श्री बोम्बे चौपाटी) का नमूना लिया गया। राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोग शाखा जयपुर कि रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण अमानक व मिथ्याछाप मावा कुल्फी (श्री बोब्बे चौपाटी) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(II) का उल्लघंन पाया गया। अप्रार्थी द्वारा जुर्म कबूल कर लिये जाने से भी जुर्म कि गम्भीरता कम नहीं हो जाती है। यह कृत्य लोगो के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है साथ ही अप्रार्थी को आर्थिक दण्ड दिया जाना आवश्यक है तांकि भविष्य में ऐसी गलती करने से बाज आये।

अतः खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 की धारा 51 व 52 के तहत अप्रार्थी को 2500 रू के जुर्माने से दण्डित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जूर्माना राशि हैड 0210–04–800–03–00 खाद्य [illegible] राज्यकोष में जरीये चालान जमा करावें एवं जमा राशि कि [illegible] प्रति इस न्यायालय में पेश कि जावे। जूर्माना राशि [illegible] के विरूद्ध खाद्य अधिनियम के तहत कार्यवाही [illegible] आदेश आज दिनांक 25.11.2022 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुदा होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 11:02:13 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
अति. जिला कलक्टर
(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट

Scanned with OKEN Scanner